न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 793/ 2019

1 जसविन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी 4 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

2 सुखमन्द्र कौर पत्नी राजेन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी 4 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

वादीगण

बनाम

1 रूपिन्द्र कौर पुत्री बलविन्द्र सिह सिंह जाति जट सिख निवासी भागसर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 हरमनदीप सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी भागसर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

3 रवनीत कौर पुत्री बलविन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी भागसर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

4 रणजीत कौर पतनी अजमेर सिंह जाति जट सिख निवासी भागसर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

5 बलविन्द्र सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जट सिख निवासी भागसर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

6 शिवराज सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जट सिख निवासी भागसर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

7 जोगेन्द्र सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जट सिख निवासी भागसर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

8 मलकीत सिह पुत्र करनैल सिंह जाति जट सिख निवासी भागसर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

9 बलदेव सिह पुत्र केहर सिंह जाति जट सिख निवासी 4 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

10 साधु सिंह पुत्र केहर सिंह जाति जट सिख निवासी 4 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

11 कुलविन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी 4 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

12 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री राकेश सिहाग अधिवक्ता (वादीगण)

2 श्री रजनीकान्त प्रतवादी संख्या 10,11

3 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांक :- 19.2.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.ए. के तहत इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि चक 9 बी जी एस जमाबदी सम्वत 2072–2075 खाता 70/70 मु.न. 40 कि.न. 1 ता 25 में 6.325 है. नहरी, मु.न. 41 कि.न. 8 ता 22 में 3.795 है. नहरी मय खाला कुल खाता 10.120 है. नहरी मय खाला आराजी दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबंदी संलग्न वादपत्र है।वादीगण एव प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है, वादी संख्या 1 के दादा मेहर सिंह व प्रतिवादी संख्या 10 के पिता केहर सिंह सगे भाई थे एंव केहर सिंह व मेहर सिंह के पास वादाधीन आराजी के अलावा पंजाब राज्य में भी आराजी दर्ज कागजात माल थी जो कि वादी संख्या 1 के पिता व वादी संख्या 2 के पति राजेन्द्र सिंह व प्रतिवादी संख्या 10 साधु सिंह के पूर्वजों मेहर सिंहव केहर सिंह के मध्य वादाधीन आराजी एव पंजाब राज्य की आराजी का पारिवारिक बंटवारा हो चूका था एव प्रतिवादी संख्या 10 के नाम से दर्ज 2.277 है. आराजी मेहर सिह को प्राप्त हुयी थी एव मेहर सिह के नाम दर्ज आराजी प्रतिवादी संख्या 10 को प्राप्त हुयी थी एव उक्त बंटवारा लगभग 60 वर्ष पूर्व ही हो चूका था एव मुताबिक बंटवारानूसार पक्षकारान अपने अपने हक हिस्सा में आयी आराजी को शांतिपूर्वक काश्त करने लग गये थे एव पंजाब राज्य में प्रतिवादी संख्या 10 के हक हिस्सा में आयी आराजी को प्रतिवादीसंख्य 10 के नाम से दर्ज रिकॉर्ड करवा दिया था एव वादाधीन आराजी को पूर्व में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 11 के पिता व वादी संख्या 2 के पति राजेन्द्र सिह काश्त करते रहे थे एव स्व. राजेन्द्र सिह की मृत्यूरान्त वादाधीन आराजी को वादीगण संख्या 1 व2 ब.हि.ब. काबिज होकर काश्त करते आ रहे है, प्रतिवादी संख्या 11 को उसके हक हिस्सा की आराजी अन्य खातों मे प्राप्त हो चूकी है एव वादाधीन आराजी मे प्रतिवादी संख्या 11 ने अपने हक हिस्सा को वादीगणके हक में छोड़ दिया है एव वादाधीन 2.277 हे. आराजी को वादीगण ब.हि.ब. काबिज होकर सभी प्रतिवादीगण के देखा देखी काश्त करते आ रहे है। वादीगण के हक हिस्सा एव कब्जा काश्त की मुताबिक पारिवारिक बंटवारानूसार प्राप्त आराजी का प्रतिवादीगण के साथ अर्सा पूर्व ही बंटवारा हो चूका है एव मुताबिक बंटवारानूसार वादीगण के हक हिससा मे निम्न प्रकार से किला विशेष आराजी प्राप्त हुयी है:–चक 9 बी जी एस जमाबदी सम्वत 2072–2075 खाता सख्या 70/70 मु.न. 41 कि.न. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 प्रत्येक में 0.253 है.नहरी, कि.न. 15, 16 प्रत्येक में 0.228 है. नहरी, 0.025 हे. खाला कुल 2.277 है. नहरी मय गै.मु. खाला आराजी में वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 को ब.हि.ब. प्राप्त हुयी है।वादीगण के हक हिससा एव कब्जा काश्त की किला विशेष अर्सा पूर्व हुये बंटवारानूसार प्राप्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम से मुताबिक बंटवारानूसार दर्ज रिकॉर्ड नही होने के कारण वादीगणको पानी की बारी रकम अदायगी बैंक ऋण व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है एव आराजी राजस्व रिकॉर्ड में सांझा खाता में दर्ज रिकॉर्ड रहने के कारण वादीगण को प्रतिवादीगण के द्वारा बेदखल किये जाने का अंदेशा सदैव लगा रहता है जिस कारण वादीगण अपने हक हिस्सा की आराजी को मन लगाकर काश्त कर पाने मे असमर्थ है एव आराजी राजस्व

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

रिकॉर्ड में मुताबिक बंटवारानूसार दर्ज रिकॉर्ड नही होने के कारण वादीगण के हक अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता है इसलिए वादीगण अपने हक हिस्सा एव कब्जा काश्त की मुताबिक बंटवारानूसार प्राप्त आराजी की खातेदारी घोषणा प्राप्त कर खाता अलग कायम करवाने के कानूनन हक अधिकारी है।वादीगण ने कई बार प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वे लोग सहमति के आधार पर वादीगण को उनके हक हिस्सा एव कब्जा काश्त में प्राप्त आराजी का खातेदार काश्तकार स्वीकार कर लेवे व किसी सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम से मुताबिक बंटवारानूसार दर्ज रिकॉर्ड करवा देवे व अपना अपना खाता अलग अलग कायम करवा लेवें तो पहले तो प्रतिवादीगणआज कल आज कल करते रहे परन्तु दिनांक 09.09.2019 को बमुकाम 9 बी जी एस में वादीगण की बात मानने से स्पष्ट रूप से ईनकार हो गये बस यही बिनाये दावा है। वगैरा–वगैरा।

लिहाजा वाद वादीगण मय शपथ पत्र दो प्रतियों मे पेश कर निवेदन है कि :– चक 9 बी जी एस जमाबदी सम्वत 2072–2075 खाता सख्या 70/70 मु.न. 41 कि.न. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 प्रत्येक में 0.253 है.नहरी, कि.न. 15, 16 प्रत्येक में 0. 228 है. नहरी, 0.025 हे. खाला कुल 2.277 है. नहरी मय गै.मु. खाला आराजी में वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 10 का नाम कलमजन किया जावे। वादीगण का खाता अलग कायम किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किाय जाकर प्रतिवादगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।प्रतिवादी संख्या 10, 11 ने जरिये वकील उपस्थित होकर वाद पत्र के समर्थन में इकबाल दावा पेश कर वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।शेष प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नही आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। जवाब स्टेट पेश हुआ राज्यहित को ध्यान मे रखते हुये वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। साक्ष्य वादी में शपथ पत्र जसविन्द्र सिंह का पेश हुआ, दस्तावेज जमाबंदी व नहरी गिरदावरी प्रदर्शित किये गये, वकील प्रतिवादी ने जिरह नही करना चाहा।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादीगण ने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया, वकील प्रतिवादीगण ने वादीगण के कथनों में अपनी सहमति प्रकट की, पत्रावली का अवलोकन किया गया, वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से आराजी संयुक्त खाता में दर्ज कागजात माल है एव वादीगण का कथन है कि वादाधीन आराजी पर वादीगण के पिता ने अन्य सहकाश्तकारान के साथ बंटवारा कर किला विशेष आराजी पर काबिज काश्त हो गये थे एव उसी अनूसार वादीगण किला विशेष आराजी की खातेदारी घोषणा एव खाता तकसीम का अनूतोष चाह रहे है एव प्रतिवादीगण ने वादाधीन आराजी में स्वयं के हक हिस्सा की आराजी अन्य खातों में प्राप्त होना एव उक्त आराजी वादीगण के हक हिस्सा में होना स्वीकार किया है एव जरिये इकबाल दावा वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में किला विशेष आराजी पर काश्त के सम्बंध में नहरी गिरदावरी सन्1980 से 2013 तक लगातार पेश की है जिससे साबित है कि वादीगण वादाधीन आराजी को मुताबिक पारिवारिक

Scanned by CamScanner

बंटवारा एव अन्य सहकाश्तकारान के साथ हुये बंटवारा के अनूसार काश्त करते आ रहे है. एव अन्य किसी सहकाश्तकार ने वादीगण के कब्जा काश्त के सम्बध में असालतन या वकालतन उपस्थित होकर विरोध नही किया है इस प्रकार वादीगण ने अपने दावा को दस्तावेजी साक्ष्यों एव अभिकथनों एव इकबाल कथनों व बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :– चक 9 बी जी एस जमाबदी सम्वत 2072–2075 खाता सख्या 70/70 मु.न. 41 कि.न. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 प्रत्येक में 0.253 है.नहरी, कि.न. 15, 16 प्रत्येक में 0.228 है. नहरी, 0.025 है. खाला कुल 2.277 है. नहरी मय गै.मु. खाला आराजी में वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 10 का नाम कलमजन किया जाता है , उक्तानूसार ही वादीगण का खाता अलग कायम किया जाकर वादीगण के नाम राजसव रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फँसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.2.2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.03.16 16:59:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: